न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 76 / 2016 (2016 / 00117) जिला–नागौर

1. भागूराम पुत्र हेमाराम मृतक जरिये वारिसानः–
   1 / 1 सोहनी पत्नी भागूराम
   1 / 2 गोरधन पुत्र भागूराम
   1 / 3 बसन्ती पुत्री भागूराम
   1 / 4 सन्तोष पुत्री भागूराम
   1 / 5 शारदा पुत्री भागूराम
   1 / 6 नन्दू पुत्री भागूराम
   1 / 7 पिंकी पुत्री भागूराम
2. औंकार पुत्र हेमाराम
3. नानकराम पुत्र हेमाराम
4. चौथी देवी पत्नी हेमाराम
5. मोहनी पुत्री हेमाराम
6. केसर देवी पुत्री हेमाराम
7. बरजी देवी पुत्री हेमाराम
8. मदनी देवी पुत्री हेमाराम
9. धन्नी देवी पुत्री हेमाराम
   समस्त जाति कुमावत निवासीगण कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. मूना पुत्र टोडिया उर्फ टोडाराम मृतक जरिये वारिसानः–
   1 / 1 किशनी देवी पत्नी स्व0 मूना
   1 / 2 हुक्माराम पुत्र स्व0 मूना
   1 / 3 जुगलकिशोर पुत्र स्व0 मूना
   1 / 4 मुन्नी देवी पुत्री स्व0 मूना
   1 / 5 राधा देवी पुत्री स्व0 मूना
   1 / 6 रूकमा देवी पुत्री स्व0 मूना
   1 / 7 नानी देवी पुत्री स्व0 मूना
   1 / 8 मांगी देवी पुत्री स्व0 मूना
   समस्त जाति कुमावत निवासीगण डीडवाना रोड, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
2. गौतम मनोचा पुत्र हरीश कुमार मनोचा जाति पंजाबी निवासी राजदयाल सिनेमा के पास कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी, जिला नागौर।

3. मूसा पुत्र समसुद्दीन जाति व्यापारी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
5. पटवारी हल्का पटवार हल्का कुचामनसिटी जिला नागौर।

—————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर
दिनांक 05—07—2016 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2015
बउनवान मूना बनाम राज0 गौतम मनोचा व अन्य

————

उपस्थित— 1. श्री शंकर लाल चौधरी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री गोविन्द शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या—1/1 से 1/8

निर्णय

दिनांकः— 12—12—2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या—1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व 131 के तहत सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कर पुनः राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5—7—2016 द्वारा स्वीकार कर वर्तमान जमाबंदी ग्राम कुचामनसिटी के नये खाता संख्या 154 एवं खसरा नम्बर 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 में अन्य खातेदारान के साथ प्रत्यर्थी संख्या—1 मूना पुत्र टोडिया उर्फ टोडाराम कुम्हार निवासी कुचामनसिटी का नाम जोड़ने हेतु तहसीलदार, कुचामनसिटी को आदेश पारित कर दिये। उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के आदेश दिनांक 5—7—2016 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थीगण ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5—7—2016 से अपीलार्थीगण व्यथित एवं असंतुष्ट पक्षकार है क्योंकि अधीस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें जिस आराजी का विवेचन किया गया है उस आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण है तथा

अपीलार्थीगण को बिना सुने तथा बिना पक्षकार बनाए अपीलार्थीगण के हितों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलार्थीगण के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। चूंकि अपलार्थीगण के विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त आदेश से अपीलार्थीगण हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज प्रविष्टि को कम व ज्यादा कर प्रविष्टि अंकित कर दी गई। जिसे दुरूस्त कर तहसीलदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलार्थी व्यथित पक्षकार नहीं है और न ही विवादित आराजियात में उसका हक एवं अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी ने आदेश पारित करते समय इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी के सह खातेदार अपीलार्थीगण की माता जीवणी पत्नी शिवजीराम व अपीलार्थीगण के पिता हेमाराम पुत्र शिवराम जाति कुम्हार अंकित है जो जमाबंदी सम्वत 2070–73 से स्पष्ट है। वर्तमान अपीलार्थीगण हेमाराम पुत्र शिवजीराम के वारिसान है जिनको बिना पक्षकार बनाए वर्तमान अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय आदेश पारित कर अपीलार्थीगण के साथ सहखातेदार के रूप में नाम अंकित करने का आदेश पारित कर वैधानिक त्रुटि की है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वह केवल मात्र गत खसरा नम्बर 6 के हाल खसरा नम्बर 27 बाबत की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 5–7–2016 पारित करते समय खसरा नम्बर 34 बाबत भी अनुतोष दे दिया जबकि खसरा नम्बर 34 गत खसरा नम्बर 9 के नये नम्बर है।इस प्रकार प्रार्थना पत्र में अंकित सम्पूर्ण आराजी के अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 33 व 34 का सम्पूर्ण भू–भाग अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में चला आ रहा है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजियात बाबत पक्षकारान के मध्य एक नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है जिसमें दौराने वाद दिनांक 23—10—2007 को एक मोका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें वर्तमान अपीलार्थीगण के पिता हेमाराम व वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 मूनाराम स्वयं उपस्थित है और उनकी उपस्थिति में उक्त मौका एवं कब्जा काश्त अनुसार कमिश्नर रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें खसरा नम्बर 33, 34 जो प्रार्थना पत्र में अंकित है तथा खसरा नम्बर 31 व 32 की सम्पूर्ण भूमि पर अपीलार्थीगण के पिता हेमाराम पुत्र श्योजीराम व जीवणी बेवा श्योजीराम जाति कुम्हार साकिन देह का कब्जा अंकित है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 33 व 34 के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण ही है। अपीलार्थीगण के पिता व उनकी माता का नाम जमाबंदी में अंकित है तो उनके वारिसों को पक्षकार बनाए बिना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था। इस प्रकार अन्य खसरा नम्बर 31 व 32 जो जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 437 में अपीलार्थीगण के पिता व जीवणी पत्नी श्योजीराम के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 4603 दिनांक 5—1—2010 को स्वीकृत किया गया है जिसमें वर्तमान अपीलार्थीगण उनके वारिसों के रूप में अंकित है। इस प्रकार अन्य आराजी जिसके खाता नम्बर 154 है जिसके खसरा नम्बर 19 लगायत 34 है जिनमें विरासत नहीं खुलने के कारण अपीलार्थीगण का नाम अंकित नहीं है जिसका फायदा उठाकर प्रत्यर्थी संख्या—1 ने वर्तमान अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाए बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने व उसके दो भाई अर्थात मोना, कुनणा पिसरान टोडिया ने कस्बा कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 9 रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा में अपना सम्पूर्ण हिस्सा अथार्त 1/15, 1/15 हिस्सा दिनांक 4—8—89 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से गोतम मनोचा पुत्र हरिश मनोचा निवासी कुचामनसिटी को बेचान कर दी। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा गत खसरा नम्बर 9 जिसके हाल खसरा नम्बर 34 की आराजी में उनका कोई हक एवं अधिकार शेष नहीं होने के कारण खसरा नम्बर 33 व 34 की आराजी बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य था।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण के पिता हेमाराम व उनकी माता जीवणी व टोडाराम के पुत्र मूना, कुनणा, शिवदान व बोदू की पत्नी कानी ने एक दावा बाबत भू—विभाजन व रेकार्ड दुरूस्ती का ए.सी.एम न्यायालय नांवा में दिनांक 5—4—97 को पेश किया था। उक्त वाद में वादीगण ने खेत खसरा नम्बर 31, 32, 33, 34 की जमीन पर अपना कब्जा काश्त होना व अन्य किसी खातेदार का इन खसरा नम्बरान की भूमि पर कोई कब्जा नहीं होना बताया था व इसी आधार पर इन खसरा नम्बरान का भू—विभाजन करने हेतु न्यायालय से निवेदन किया था। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 4 कानी देवी बतौर वादी दर्ज थी तथा कानी देवी का पुत्र मंगलाराम पुत्र बोदूराम बतौर प्रतिवादी संख्या 13 दर्ज था। इस वाद में दिनांक 6—2—2007 को उपखण्ड अधिकारी नावां ने पटवारी व आर.आई कुचामनसिटी से

मौका निरीक्षण करवाकर मौका रिपोर्ट खसरा नम्बरान बाबत चाही गई जिस पर दिनांक 23—10—2007 को आर.आई व पटवारी ने टोडाराम के पुत्रों व अपीलार्थीगण के पिता हेमाराम की मौजूदगी में मौका देखकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। उक्त मौका रिपोर्ट में जिन खसरा नम्बरान पर जिन काश्तकारों का कब्जा काश्त था उसका हवाला दिया गया था व खसरा नम्बर 31, 32, 33, 34 की जमीन पर एक मात्र कब्जा काश्त वादीगण के पिता हेमाराम व जीवणी बेवा श्योजीराम का बताया गया । इस प्रकार मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 33, 34 पर अपीलार्थीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण आवश्यक पक्षकार थे जिनको पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। अतः अपलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5—7—2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या—1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व 131 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कुचामन की विवादित आराजियात पुराने खसरा नम्बर 6 मिन व 9 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 27, 28, 30, 33 बने है जो मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी संख्या 1 मूना के एक भाई ने नया खसरा नम्बर बनने से पहले खसरा नम्बर 9 मिन का सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया था। मुना, कुनणा, शोदान ने भी खसरा नम्बर 9 मिन में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया। भू—प्रबन्ध विभाग ने खसरा नम्बर 6 व 9 मिन को मिलाकर नया नम्बर बना दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी दस्तावेजात प्रस्तुत किये है। नये सेटलमेंट द्वारा जारी पर्चा लगान की प्रति अनुसार बोदू, मूना, कुनणा, सोदान पिसरान टोडिया जाति कुम्हार मूसा पुत्र शमसूदीन जाति मुसलमान, श्रीमती घीसली धर्मपत्नी दूलाराम, शिवजी पुत्र रामनाथ जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 कुल रकबा 6.74 हैक्टर अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2050—2053 में गौतम पुत्र हरीश कुमार मनोचा सा0 कुचामन खातदेार शिवजी पुत्र रामनाथ जाति कुम्हार सा0 देह, मूसा पुत्र शमसुदीन जाति मुसलमान, घनश्याम पुत्र सोहनलाल रामेश्वर पुत्र सोहनलाल नाई, मंगलाराम पुत्र बोदूराम, श्रीमती कानी देवी पत्नी बोदूराम जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार दर्ज है। उक्त जमाबंदी में मूना पुत्र टोडिया के नाम की प्रविष्टि खसरा नम्बर 27, 28, 30, 33 में होने से छूट गई। पटवारी हल्का कुचामनसिटी की रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 27, 28, 30, 33 गत खसरा नम्बर 6 मिन एवं 9 मिन को मिलानकर बनाए है शेष खसरा नम्बर 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34 गत खसरा नम्बर 9 के बने हुए है। चूंकि बेचानकर्ताओं ने गत खसरा नम्बर 9 में से ही अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान किया है उससे हाली खसरा नम्बर 27, 28, 30, 33 गत खसरा नम्बर 6 मिन व 9 मिन को मिलाकर बनाए हुए है। गत खसरा नम्बर 9 का रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा था, खसरा नम्बर 27 का रकबा 0.97 हैक्टर भूमि के संबंध में

एक वाद संख्या 23/2012 माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट परबतसर में विचाराधीन है जिसमें स्थगत आदेश हो रखा है। खसरा नम्बर 9 को गौतम मनोचा को दिनांक 4–8–89 को बेचान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 22–8–1989 स्वीकृत किया गया है। विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी की आराजियात होने से समस्या उत्पन्न हुई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की खातेदारी नहीं हटाई है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम के साथ अन्य खातेदारान के नाम जोड़ने के आदेश पारित किये है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में भी मुना का नाम है तथा खसरा नम्बर 6 में भी प्रत्यर्थी संख्या–1 का हिस्सा बनता है। उसी खसरा नम्बरान में प्रत्यर्थी संख्या–1 का नाम जोड़ा गया है। विवादित आरायिजात के खाते का विभाजन नहीं हुआ है खसरा नम्बर 27, 28, 30, 33 पुराने खसरा नम्बर 6 व 9 से बने है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलार्थीगण के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थीगण ने सभी खसरा नम्बरान का हवाला दिया है। विवादित आराजियात के जिस हिस्से को बेच दिया है उसमें अब हक अधिकार नहीं रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत प्रकरण में धारा 136 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में रिलीफ नहीं दे सकता है।

जवाबुल जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नये खाता संख्या 154 एवं खसरा नम्बर 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 में अन्य खातेदारान के साथ प्रत्यर्थी संख्या–1 मूना पुत्र टोडिया उर्फ टोडाराम कुम्हार निवासी कुचामनसिटी का नाम जोड़ने हेतु तहसीलदार, कुचामनसिटी को आदेश पारित किये है जो मिलान क्षैत्रफल अनुसार सही है। प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा वास्तविक बेचान खसरा नम्बर 9 मिन में से ही किया गया है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व 131 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कुचामन की विवादित आराजियात पुराने खसरा नम्बर 6 मिन व 9 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 27, 28, 30, 33 बने है जो मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी संख्या 1 मूना के एक भाई ने नया खसरा नम्बर बनने से पहले खसरा नम्बर 9 मिन का सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया था। मुना, कुनणा, शोदान ने भी खसरा नम्बर 9 मिन में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया। भू–प्रबन्ध विभाग ने खसरा नम्बर 6 व 9 मिन को मिलाकर नया नम्बर बना दिया। दौराने भू–प्रबन्ध कार्य प्रत्यर्थी संख्या–1 मूनाराम द्वारा गौतम मनोचा को विवादित आराजियात का

बेचान खसरा नम्बर 9 में से ही किया गया था वक्त सेटलमेंट नये खसरा नम्बर अंकित हो गये जिससे गौतम मनोचा को विक्रय की गई भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 22–8–89 स्वीकृत किया गया तथा खसरा नम्बर 6 का कुछ रकबा नये खसरा नम्बरान में मिलाकर किया गया जबकि गौतम मनोचा को वास्तविक बेचान खसरा नम्बर 9 मिन में से ही किया गया था। मुना पुत्र टोडिया द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 4–8–89 से गौतम पुत्र हरीश कुमार कनोचा को गत खसरा नम्बर 9 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किया था परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा गत खसरा नम्बर 9 के सम्पूर्ण रकबा के नये खसरा नम्बर बनाते समय कुछ हिस्सा गत खसरा नम्बर 6 का हिस्सा भी सम्मिलित कर लिया जिसकी पुष्टि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट होती है। नये सेटलमेट द्वारा जारी पर्चा लगान की प्रति अनुसार बोदू, मूना, कुनणा, सोदान पि0 टोडिया जाति कुम्हार मूसा पुत्र शमसूदीन जाति मुसलमान श्रीमति घीसली धर्म पत्नी दूलाराम शिवजी पुत्र रामनाथ जा कुम्हान सा0 देहखातेदार दर्ज है खसरा नम्बर 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 कुल रकबा 6.74 अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2050–2053 में गौतम पुत्र हरीश कुमार मनोचा सा0 कुचामन खातेदार शिवजी पुत्र रामनाथ जाति कुम्हार सा0 देह मूसा पुत्र शमसुदीन जाति मुसलमान, घनश्याम पुत्र सोहनलाल, रामेश्वर पुत्र सोहनलाल नाई, मंगलाराम पुत्र बोदूराम, श्रीमति कानी देवी पत्नी बोदूराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार दर्ज है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 27,28,30,33 गत खसरा नम्बर 6 मिन व 9 मिन को मिलाकर बनाए हुए है शेष खसरा नम्बर 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 गत खसरा नम्बर 9 मिन के बने हुए है चूंकि बेचानकर्ताओं ने गत खसरा नम्बर 9 मिन में से ही अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान किया था खसरा नम्बर 6 मिन में से नहीं किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 276 जो दर्ज किया गया है उनमें हाली खसरा नम्बर 27, 28, 30, 33 गत खसरा नम्बर 6 मिन व 9 मिन को मिलाकर बनाए हुए है। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 9 मिन के बने हाल खसरा नम्बर का कुल रकबा 5.64 हैक्टर अर्थात 34 बीघा 17 बिस्वा है जबकि पुराने खसरा नम्बर 9 का कुल रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा था। खसरा नम्बर 27 रकबा 0.97 हैक्टर की भूमि के संबंध में एक वाद संख्या 23/2012 एडीजे कोर्ट परबतसर में विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। हाल खसरा नम्बर 27, 28, 30, 33 में गत खसरा नम्बर 6 मिन का जो हिस्सा शामिल किया गया है उसमें प्रत्यर्थी संख्या–1 अपना नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कराना चाहता है। वर्तमान जमाबदी ग्राम कुचामनसिटी के नये खाता संख्या 154 एवं खसरा नम्बर 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 में अन्य खातेदारान के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 मूना पुत्र टोडिया उर्फ टोडाराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी का नाम जोड़ने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा अपीलार्थी का नाम हटाने के कोई आदेश पारित नहीं किये है अन्य खातेदारान में अपीलार्थी का नाम भी सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित

अपीलाधीन आदेश दिनांक 5—7—2016 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05—07—2016 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2015 मूना बनाम गौतम मनोचा व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12—12—2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर